# न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

## अनुमति वाद संख्या–125/2022

**अमेरिका मांझी**

**बनाम्**

**रीना कुमारी**

**–: आदेश :–**

| | | |
|---|---|---|
| 08/02/23 | वर्तमान वाद की प्रक्रिया अमेरिका मांझी उर्फ अमरीका मांझी, पिता–स्व0 बुधु मांझी, सा0–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता रीना कुमारी, पति–स्व0 लक्ष्मण कुमार, सा0–मनिका, थाना–मनिका, जिला– लातेहार के साथ मौजा–मनिका, खाता संख्या–204, प्लॉट संख्या– 204 रकबा– 0.27 ए0 एवं खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–929 रकबा–0.10$\frac{1}{2}$ ए0, कुल रकबा–0.37$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।<br>अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–20 दिनांक 07.01.2023 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।<br>अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के नाम से मात्र रकबा–1.14 एकड़ भूमि का मांग चलता है, जिसमें से रकबा–0.37$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री करना चाहते हैं। भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास मात्र रकबा–0.76$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। आवेदक के पास कम भूमि रहने के कारण बिक्री की अनुमति नियमानुसार देय योग्य नहीं है। | |

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास कम भूमि है। अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 13:01:02 +05:30
Location: 10.93.47.5